तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/12/17	वकुला. ए. फरीकेन उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम श्रीमति कैलाशकंवर पत्नि श्री कृष्णपालसिंह शक्तावत पुत्री स्व० श्री रणछोडमहावीरसिंह के स्थान पर सहवन से उसका घरेलू नाम श्रीमति गीगाकंवर अंकित कर दिया गया था। इसलिये प्रतिवादी 1 का नाम श्रीमति गीगाकंवर उर्फ कैलाश कंवर अंकित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। उक्त संशोधन से प्रार्थना पत्र के स्वरूप पर कोई परिवर्तन नही होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थना पत्र की नकल अप्रार्थीगण वकील को दिलाई गई जिन्होने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश ना कर मौखिक विरोध किया। प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का नाम श्रीमति गीगाकंवर के आगे लाल स्याही से उर्फ कैलाशकंवर अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थी ने अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया उभयपक्षान को सुना गया प्रकरण का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण की स्थिति को देखते हुए आगामी पेशी तक रेकार्ड एवं मौका की स्थिति को देखते हुए आगामी पेशी तक रेकार्ड एव मौका की वादग्रस्त आराजी मे यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगणो को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रकरण मे वकील प्रार्थीगण ने वाद मे जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का मय सूची दस्तावेज एवं लिखित बहस पेश की गई जिसकी नकल अप्रार्थीगण के वकील को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 22/12/17 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	
22/12/17	वकु० फरी० उपस्थित। प्रार्थना पत्र 7.11 के साथ पेश मूल वाद प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार होने से खारिज किया गया इस लिए प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य हो गया है। अतः कार्यवाही प्रार्थना पत्र ड्रोप की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 17:37:11 IST
Reason: SelfAttested